2022/178

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
श्री महेश कुमार परिहार
निवासी आशापुरी कॉलोनी
तरतोली रोड आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 24 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जंज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.03.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 21.12.2021 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री आनन्दी लाल निवासी प्लॉट नं. 06 आरासुरी कॉलोनी आबूरोड को नवनन्द कुटीर, कुम्हारवाडा, गुजरात सर्किट हाउस के पास आबूपर्वत में स्थित मकान के नवीनीकरण के लिए अनुमति दी गई थी, उक्त अनुमति लेने हेतु श्री आनन्दीलाल ने क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए एवं श्री आनन्दी लाल के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई। उक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 21.12.2021 को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री आनन्दी लाल निवासी प्लॉट नं. 06 आरासुरी कॉलोनी आबूरोड को नवनन्द कुटीर, कुम्हारवाडा, गुजरात सर्किट हाउस के पास आबूपर्वत में स्थित मकान के नवीनीकरण के लिए अनुमति दी गई थी, उक्त अनुमति लेने हेतु श्री आनन्दीलाल ने क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए एवं श्री आनन्दी लाल के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई। उक्त सभी की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्[illegible]सार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो [illegible] कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो.। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:16:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner